


राजस्थान-सरकार
राजस्व(गुप-1) विभाग



क्रमांक:प.9(29)राज./गुप-1/2013

जयपुर, दिनांक : 08-04-2013

:- अधिसूचना:-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम, 15) की धारा 16, के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद द्वारा निर्देश देती है कि जिला जालौर की तहसील आहोर के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-6 में अंकित मजरो/ढाणियों को एतदपश्चात् राजस्व गाँव के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व गाँव की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-8 के अनुसार होगा:-

क्र०सं	जिला / तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हेक्टर में)		प्रस्तावित राजस्व ग्राम का नाम	प्रस्तावित राजस्व ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हेक्टर में)		दूरी कि० मी० में	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हेक्टर में)
			जन संख्या	क्षेत्रफल		जन संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जालौर / आहोर	नोसरा	3440	3664.75	नोसरा की ढाणी	333	430.01	3.0	3234.74

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत अभिलेखों के परिशोधन के कार्य के लिये जिला कलेक्टर, जालौर को अधिकृत किया जाकर जिला कलेक्टर विभागीय परिपत्र क्रमांक प.9 (16) राज-1/07 दिनांक 20.08.09 के अनुसार कार्यवाही निष्पादित कर राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

(स्नेहलता पंवार)
संयुक्त शासन सचिव

16/4/13

AD(Cen)

Shri A.C. Gupta
Mathur-2013